सं-ई-11011/27/2021/हिंदी/ 321

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केंद्रीय जल आयोग (हिंदी अनुभाग)

पुस्तकालय भवन, के.ज.आ.
रामकृष्ण पुरम नई दिल्ली- 110066
दिनांक: 11 नवंबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषयः अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग महोदय की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.09.2025 को आयोजित 161वीं बैठक का कार्यवृत और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में। (Minutes of the 161th Meeting of Official Language implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 26.09.2025 and time-bound action on decisions taken therein-reg)

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.09.2025 को आयोजित 161वीं बैठक का कार्यवृत आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

2. **सभी संबंधितों से अनुरोध है कि कृपया उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए** और की गई कार्रवाई से हिन्दी अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

संलग्नक: यथोक्त

रोजी शर्मा

(रोजी शर्मा)
सहायक निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 011-29583720
ई-मेल hindisec-cwc@gov.in

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/ अनुभाग अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
4. उप निदेशक, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः

1. **मद संख्या 1-** आरएमसीडी निदेशालय एवं हिंदी अनुभाग द्वारा समन्वित रूप से
2. **मद संख्या 2, मद संख्या 6, मद संख्या 7, मद संख्या 8-** एसएमडी निदेशालय, के.ज.आ.
3. **मद संख्या 3-** स्थापना-7 अनुभाग, के.ज.आ.
4. **मद संख्या 4-** स्थापना-9 अनुभाग, के.ज.आ.
5. **मद संख्या 5-** सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय के अनुभाग/निदेशालय
6. **मद संख्या 10-** सभी क्षेत्रीय कार्यालय
7. **मद संख्या 11-** एसएमडी निदेशालय द्वारा। अनुरोध है कृपया हिंदी अनुभाग से अपेक्षित सूचना हेतु समन्वय किया जाए।
8. **मद संख्या 12-** आरएमसीडी निदेशालय, के.ज.आ.- को शीघ्रातिशीघ्र हिंदी अनुभाग में एक डीईओ (हिंदी टंकण जानने वाले) तैनात करने के अनुरोध सहित।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.09.2025 को अपराह्न 05.00 बजे आयोजित 161वीं बैठक का कार्यवृत्त

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 161वीं बैठक दिनांक 26.09.2025 को अपराह्न 05.00 बजे आयोजित की गई।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 161वीं बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों एवं उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा के उपरांत केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं आयोग (मुख्यालय) में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में वृद्धि की समीक्षा की जाएगी।

तत्पश्चात्, इस बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य-सचिव ने इस बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बताया कि पिछली बैठक 27.06.2025 को की गई थी और उसका कार्यवृत्त 24.07.2025 के पत्र द्वारा सभी सदस्यों और अनुभागों को परिचालित किया गया। इस संबंध में कहीं से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए। तत्पश्चात्, सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। सदस्य-सचिव ने बैठक की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा प्रारंभ की।

1. सदस्य-सचिव ने कहा कि पिछली तिमाही में यमुना बेसिन संगठन, नई दिल्ली द्वारा प्रशासनिक कारणों से हिंदी कार्यशाला आयोजित की नहीं की जा सकी। इस विषय को अध्यक्ष महोदय ने गंभीरता से लेते हुए निदेश दिया कि वर्तमान तिमाही में कार्यशाला का अनिवार्य आयोजन किया जाए और इस संबंध में जानकारी ली जाए ताकि राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस बार ऊपरी गंगा बेसिन संगठन, लखनऊ की तिमाही रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी कार्यालयों को कार्यशाला एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के अनिवार्य आयोजन के संबंध में समय-समय पर सूचित किया जाए,अनुस्मारक भेजे जाएं साथ ही ऐसे उल्लंघनकर्ता कार्यालयों से फॉलो-अप किया जाए।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग, के.ज.आ. एवं आरएमसीडी निदे.)

2. सदस्य-सचिव ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर आयोग की आंतरिक शब्दावली को काफी समय पहले ही राजभाषा कॉर्नर में अपलोड कर दिया गया था किन्तु अब यह राजभाषा कॉर्नर में उपलब्ध नहीं है बल्कि एंप्लाई कॉर्नर में प्रदर्शित हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया कि इस संबंध में किसी भी तरह की तकनीकी

समस्याओं को दूर करते हुए इस शब्दावली को वेबसाइट पर राजभाषा कार्नर में पुनः अपलोड करने की व्यवस्था की जाए।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

3. केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी अनुवादकों के पदों के सृजन/रिवाइवल तथा उन पदों पर भर्ती के संबंध में निदेशक एवं राजभाषा प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा मंत्रालय को एक अर्ध-शासकीय पत्र भेजा गया था साथ ही व्यय विभाग के पत्र का संदर्भ देते हुए बताया कि इस संबंध में मंत्रालय से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। चूंकि अनुवाद कार्य एवं राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अनुवाद अधिकारियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और गूगल तथा मशीनी अनुवाद की कुछ सीमाएं होती हैं जिससे स्तरीय अनुवाद संभव नहीं हो पाता है। हिंदी अनुवादकों के पदों के सृजन/रिवाइवल का मुद्दा माननीय संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण बैठकों में लगातार उठता रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि अनुवादकों एवं कंसल्टेंटों की भर्ती के संबंध में फॉलो-अप किया जाए और इस संबंध में एक प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जाए।

(कार्रवाईः स्थापना-7 अनुभाग, के.ज.आ.)

4. केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के हिंदी अनुभाग में नई भर्ती के माध्यम से सेवा ज्वाइन करने वाली 01 कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और 01 वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी की पुनः तैनाती के संबंध में सदस्य-सचिव ने बताया कि उक्त वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी की नियुक्ति अगस्त माह में हिंदी अनुभाग में की जा चुकी है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) से विचार-विमर्श करते हुए कहा कि कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को वैकल्पिक व्यवस्था होने के उपरांत हिंदी अनुभाग में तैनात किया जाए। इसके अलावा, हिंदी के रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च स्तर से पुनः एक पत्र राजभाषा विभाग को भेजा जाए।

(कार्रवाईः स्थापना-9 अनुभाग, के.ज.आ.)

5. केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा के दौरान सदस्य-सचिव ने कहा कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा धारा 3(3) और नियम-5 का अनुपालन किया गया है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त करते हुए सभी संबंधितों को साधुवाद दिया।

(कार्रवाईः सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय के अनुभाग/निदेशालय)

6. सदस्य-सचिव ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट को नए सिरे से अद्यतित/द्विभाषीकरण करने की आवश्यकता है। निदेशक एसएमडी निदेशालय ने बताया कि

व्यय संबंधी सीमाओं के कारण इस कार्य में विलंब हुआ है तथा अभी टेंडर चिह्नित नहीं हुआ है। वेबसाइट को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने का उक्त कार्य प्रक्रियाधीन है। इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने इस कार्य को शीघ्र पूरा करने एवं वेबसाइट हिट्स की हिंदी/अंग्रेजी काउंटिंग में आने वाली विसंगति को दूर करते हुए वेबसाइट को खोलते समय सबसे पहले हिंदी पेज खुलने की सुविधा प्रदान करने के संबंध में एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

7. केंद्रीय जल आयोग में हिंदी में टिप्पणी लिखने के संबंध में चर्चा के दौरान इस बैठक के अध्यक्ष महोदय ने एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया कि ई-ऑफिस में हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या प्राप्त करने को सहज बनाने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएं। इस पर एसएमडी निदेशालय ने कहा कि इस संबंध में एनआईसी से संपर्क किया गया था किंतु अभी तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस संबंध में फॉलो-अप किया जाए।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

8. सदस्य-सचिव ने बताया कि ई-ऑफिस में सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं साथ ही ई-साइन हिंदी में न होकर केवल अंग्रेजी में होता है इस कारण पत्र भेजने संबंधी राजभाषा नियमों के अनुपालन में कठिनाई आती है। इस पर निदेशक, एसएमडी निदेशालय ने बताया कि पहले यूजर का ई-ऑफिस डाटा-बेस लोकल था किंतु अब इसे पीआईएमएस (सेंट्रल डाटा-बेस) पर डाल दिया गया है, जिससे अभी तकनीकी कारणों से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मंत्रालय में ई-साइन अनिवार्य किया जा चुका है अतः आयोग में भी यह किया जाना अपेक्षित है साथ ही एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया कि इस विषय पर सी-डैक को पुनः अनुरोध पत्र लिखा जाए।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

9. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रोफॉर्मा पर चर्चा करते हुए सदस्य-सचिव ने बताया कि इसमें कुछ नई मदों को शामिल किया गया है जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है जैसे- सचिव एवं समकक्ष स्तर पर कितनी बैठकें आयोजित की गई और इनमें से कितनी बैठकों के कार्यवृत हिंदी में जारी किए गए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी संबंधित निदेशालयों को बैठक के कार्यवृत आवश्यक रूप से हिंदी में भी जारी करने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया जाए। सदस्य-सचिव ने आगे कहा कि दूसरी मद हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या के विषय में है जिसमें ई-

ऑफिस में टिप्पणियों की गणना करते समय असमंजस की स्थिति के कारण सही डाटा प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि नवीन तिमाही प्रगति रिपोर्ट को सही रूप में भरने के संबंध में उचित जानकारी परिचालित की जाए एवं आवश्यक हो तो इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाए।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

10. क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने और संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण हेतु अलग से बजट का प्रावधान किए जाने के संबंध में चर्चा के दौरान सदस्य-सचिव ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान संबंधित कार्यालयों द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता के साथ सामने रखा गया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने पर प्रत्येक वर्ष उचित माध्यम से मांग का प्रस्ताव भेज सकते हैं। तदनुसार, मुख्यालय स्तर पर विचार किया जा सकता है।

(कार्रवाईः सभी क्षेत्रीय कार्यालय)

11. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधी डाटा संग्रहण हेतु गूगल फॉर्म बनाने के संबंध में चर्चा के दौरान सदस्य-सचिव ने बताया कि इसके लिए हमें एसएमडी निदेशालय की सहायता से एक गूगल फॉर्म तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिससे स्वतः डाटा संग्रहण हो सके एवं तदनुरूप समीक्षा भी हो सके। इस पर निदेशक, एसएमडी निदेशालय ने कहा कि चूंकि गूगल एक्सटर्नल डोमेन है अतः संबंधित फॉर्म को गूगल पर न बनाकर अपने लोकल डोमेन में बनाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने एसएमडी निदेशालय को इस पर अपेक्षित कार्रवाई करने का निदेश दिया।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

12. सदस्य-सचिव ने हिंदी अनुभाग में नियमानुसार हिंदी आशुलिपिक/टाइपिस्ट या समकक्ष की तैनाती किए जाने के संबंध में कहा कि अनुभाग में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न विषयों पर लिपिकीय सहायता हेतु हिंदी आशुलिपिक/टाइपिस्ट या कनिष्ठ/वरिष्ठ सचिवालय सहायक की आवश्यकता होती है जिससे महत्वपूर्ण कार्यों का समयबद्ध निपटान किया जा

सके। निदेशक, स्थापना-3 एवं राजभाषा प्रभारी महोदय ने बताया कि हिंदी अनुभाग में 02 स्वीकृत पद (01 आशुलिपिक एवं 01 वरिष्ठ सचिवालय सहायक) है, किंतु वर्तमान में रिक्त है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने आरएमसीडी समन्वय निदेशालय को निदेश दिया कि वैकल्पिक तौर पर हिंदी अनुभाग में 01 डीईओ की शीघ्र तैनाती की जाए।

(कार्रवाईः आरएमसीडी निदेशालय)

अंत में, अध्यक्ष महोदय ने वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुरूप राजभाषा के सम्यक अनुपालन हेतु सभी से आग्रह किया तथा निदेश दिया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में नवीन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि सभी स्कंध हिंदी में अच्छा कार्य कर रहे हैं तथापि राजभाषा कार्यान्वयन के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में नवीन तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रोफॉर्मा के संबंध में आगामी समय में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है। आज हम आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर राजभाषा की प्रगति हेतु निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करते हुए अपना अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी में ही करें।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों की सूची :

1.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	सदस्य, नदी प्रबंध	सदस्य
3.	सदस्य, जल आयोजना एवं परियोजना	सदस्य
4.	सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान	सदस्य
5.	मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
6.	सचिव, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
7.	निदेशक, (प्रशासन)	सदस्य
8.	निदेशक, स्थापना 1	सदस्य
9.	निदेशक, स्थापना 2	सदस्य
10.	निदेशक, स्थापना-3 एवं राजभाषा प्रभारी	सदस्य
11.	निदेशक (समन्वय), जल आयोजना एवं परियोजना	सदस्य
12.	निदेशक (समन्वय), अभिकल्प एवं अनुसंधान	सदस्य
13.	निदेशक (समन्वय), नदी प्रबंध	सदस्य
14.	निदेशक, प्रशिक्षण/पुस्तकालय	सदस्य
15.	निदेशक, तकनीकी समन्वय	सदस्य
16.	निदेशक, पी.सी.पी.	सदस्य
17.	निदेशक, डब्ल्यूएसई	सदस्य
18.	निदेशक, सॉफ्टवेयर प्रबंधन	सदस्य
19.	लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
20.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	सदस्य-सचिव